

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक.— नर्सिंग/नर्स-2/स्वै.से./एम-120/2019/

दिनांक:

आदेश

श्रीमती मोली कुट्टी चाको, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखोला खण्ड सहाडा, भीलवाडा जिनकी जन्म तिथि 26.01.1960 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 21.05.82 है को उनकी स्वयं के प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 नियम 50 (1) में उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 31.03.2019 को राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। इनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा।

कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:—

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1953 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

—sl

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:— नर्सिंग/नर्स-2/स्वै.से./एम-120/2019/319

दिनांक: 11/3/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है.—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई डी क्रमांक 813/एम/एमएण्डएच/2019 दिनांक 20.02.2019 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राज0 जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 1130/एसीएस/एम एण्ड एच/2019 दिनांक 20.02.2019 के संदर्भ में।
3. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 316 दिनांक 18.02.2019 के संदर्भ में।
4. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवम स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा।
7. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहाडा, भीलवाडा।
8. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखोला, भीलवाडा।
9. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. डीपीसी अनुभाग (नर्सिंग), मुख्यालय।
11. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
12. आदेश/निजी पत्रावली।

—sl

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर